दिनांक 07.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 260 ग्राम गांजा बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा आज दिनांक 07/02/26 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **बाकर अली पुत्र मौहम्मद जमीर निवासी ग्राम तिगरी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फनगर** को गौशाला के सामने ग्राम तोता टाण्डा के पास से से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से से 04 किलो 260 ग्राम गांजा (मादक पदार्थ) नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 25/2026 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त बाक अली उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- बाकर अली पुत्र मौहम्मद जमीर निवासी ग्राम तिगरी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फनगर

बरामदगी का विवरण:-

- 04 किलो 260 ग्राम गांजा (मादक पदार्थ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अशोक तेवतिया थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1225 हरविन्दर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 07.02.2026

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2026 को वादी दीपक लाम्बा पुत्र भरत सिंह निवासी दाबकी जुनारदार पारस विहार कालोनी, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र रिडकू राम निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पिता को जान से मारने की नीयत से आग लगा देने की धमकी देने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 54/26 धारा 109/351(2) बीएनएस में पंजीकृत कराया गया था तथा ईलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिये, जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.02.2026 मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***विनोद कुमार पुत्र रिडकू राम निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर*** *को दाबकी जुनारदार थाना को0देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विनोद कुमार पुत्र रिडकू राम निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2. का0 2107 रवि राठी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 07.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 07.02.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गैर जमानती वारन्टी अभियुक्त ***नरेन्द्र पुत्र कलम सिंह निवासी सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0-243/24 मु0अ0सं0-441/16 धारा 60 आब0अधि0 व 272/273 भादवि मा0 न्यायालय एसीजेएम -4 सहारनपुर) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नरेन्द्र पुत्र कलम सिंह निवासी सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।*
2. *है0का0 1288 सुधीर कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः-07-02-2026

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 07.02.26 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चैकिंग के दौरान ग्राम मीरपुर मोहनपुर को जाने वाले रास्ते से ***अभियुक्त प्रदुमन पुत्र गोपाल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना बडगाँव सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया । जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 (मेड इन इटली) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रदुमन पुत्र गोपाल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 पिस्टल .32 बोर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।*
2. *व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*
3. *है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*
4. *है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.02.2026

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 02 कुन्डल (पीली धातु) व 17000/- रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरणः-

1. दिनांक 06.11.2025 को वादी तरूण यादव पुत्र समुन्दर सिंह निवासी 3/37 केशव पुरम दिल्ली द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी कर वादी की अंगुठिया चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 316/25 धारा 303(2) /318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.12.2025 को वादी जितेन्द्र त्यागी पुत्र आदित्य त्यागी निवासी शिव कॉलोनी थाना कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मां का कुण्डल छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 353/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 07.02.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण **1. गौरव पुत्र केशनाथ निवासी ग्राम पथरी उर्फ धनपुरा सपेरा बस्ती घोसीपुरा थाना पथरी जिला हरिद्वार उतराखण्ड 2. अरविन्द केशनाथ निवासी ग्राम पथरी उर्फ धनपुरा सपेरा बस्ती घोसीपुरा थाना पथरी जिला हरिद्वार उतराखण्ड** को बडकला फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर नीचे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से **02 कुन्डल (पीली धातु) (मु0अ0स0 353/25 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित)** व **17000/- रुपये नकद (मु0अ0स0 316/25 धारा 303(2) /318(4) बीएनएस से सम्बन्धित)** व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर (रजि0 न0 UK 08 AW 9847) बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियोगों में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया गया कि यह कुन्डल हम दोनो भाईयो ने मिलकर कस्बा छुटमलपुर मे करीब 02 माह पहले एक महिला से पीछे से छीना था और हम दोनो भाई उपरोक्त मो0सा0 पर बैठकर भाग गये थे और तीन महीने पहले हम दोनो भाईयो ने मिलकर इसी हाईवे पर छुटमलपुर कट के पास एक कार सवार को रोककर दो अगुठी निकालकर भाग गये थे और उस अगुठी को हमने हरिद्वार मे एक अजान व्यक्ति को 65000/- रुपये मे बेच दी उन 65000 रुपये मे से हमारे पास 17000 रुपये बचे थे जो आपने बरामद कर लिये है बाकी पैसे हमने खाने पीने व मोज मस्ती मे खर्च कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. गौरव पुत्र केशनाथ नि0 ग्राम पथरी उर्फ धनपुरा सपेरा बस्ती घोसीपुरा थाना पथरी जिला हरिद्वार उतराखण्ड
2. अरविन्द केशनाथ नि0 ग्राम पथरी उर्फ धनपुरा सपेरा बस्ती घोसीपुरा थाना पथरी जिला हरिद्वार उतराखण्ड

बरामदगी का विवरणः-

- *02 कुन्डल (पीली धातु)*
- *17000/- रुपये*
- *01 मोटर साइकिल (घटना मे प्रयुक्त)*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
2. उ0नि0 मशकूर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
3. है0का0 961 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
4. हे0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
5. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर सहारनपुर ।

दिनांक: 07.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा लकड़ी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से पिकअप व 40 लकड़ी के गुटके बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 06.02.2026 को वादी श्री राजदेव पुत्र श्री किशनलाल निवासी ग्राम जगाधरी हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा पिकप गाडी न0 UP15ET 8796 (महेन्द्रा) से वादी के बाग से यूकेलिप्सटिक के 06 पेड़ काटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 16/26 धारा 303(2/317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित ***अभियुक्त अर्जुन सैनी पुत्र करण सैनी नि0 ग्राम मरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को बेहट से गाँगरो नहर पुल से गन्देवड जाने वाले रास्ते के दाहिनी ओर सरकारी जंगल की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लकडी के बोटे/गुटके छोटे बडे कुल 40 व चोरी में इस्तेमाल महिन्द्रा पिकप UP15ET8796 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन सैनी पुत्र करण सैनी निवासी ग्राम मरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. *मुअ0सं0 428/23 धारा 8/20 एनडीपीएसएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 77/23 धारा 8/20 एनडीपीएसएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 533/21 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 464/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण

- *महिन्द्रा पिकप UP15ET8796*
- लकडी के बोटे/गुटके छोटे बडे कुल 40

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।*
3. *हे0का0 1058 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।*
4. *का0 71 ब्रजवीर राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।*
5. *का0 1802 बिट्टू थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।*

दिनांकः 07.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मारपीट व दहेज के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.01.2026 को वादिया निवासी ग्राम भोगीमाजरा, थाना झिंझाना जिला शामली द्वारा द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादिया के ससुराल वालो द्वारा वादिया को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताड़ित करना व हमला करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व षड़यंत्र करते हुए वादिया के पिता, भाईयों व फूफा को घर पर बुलाकर उनके साथ मारपीट करना तथा वादिया के मायके पक्ष की गाडीं में तोड़ फोड़ कर क्षति ग्रस्त करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 07/2026 धारा 85,115(2),351(3),324(4),61(2),131 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 117(2),118(1),118(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस उपमहनिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया एवं एसआईटी का गठन करते हुए विवेचना प्रभारी निरीक्षक नकुड के सुपुर्द की गयी। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***लोकेश पुत्र सकटू निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम भैरमऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लोकेश पुत्र सकटू निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।*
3. *है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ सहारनपुर।*
4. *का0 1997 विनित थाना नकुड़ सहारनपुर।*

दिनांक: 07.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 05 गैस सिलेन्डर व घटना मे प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2026 को वादी गफ्फार पुत्र अब्दुल वहीद नि0 मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 28/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.02.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण ***1.अर्जुन उर्फ बन्टी पुत्र तेलुराम निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर 2. जाहिद पुत्र तहसीन नि0 मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर 3. गुलफाम उर्फ भोला पुत्र भूरा नि0 एक मिनारा मस्जिद मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर*** *को काशीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये 05 गैस सिलेन्डर व घटना मे प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप गाडी बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अर्जुन उर्फ बन्टी पुत्र तेलुराम नि0 मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर।

2. जाहिद पुत्र तहसीन नि0 मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर।

3. गुलफाम उर्फ भोला पुत्र भूरा नि0 एक मिनारा मस्जिद मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *05 गैस सिलेण्डर*
- *01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजि0 नं0 UP11BT 4498 (घटना मे प्रयुक्त)*

अभियुक्त अर्जुन उर्फ बन्टी का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 102/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर।

2. मु0अ0स0 269/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर।

3. मु0अ0स0 293/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर।

4. मु0अ0स0 319/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर।

5. मु0अ0सं0 28/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नानौता सहारनपुर।

अभियुक्त जाहिद का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 024/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 796/18 धारा 136 विद्युत अधि0 चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 370/18 धारा 395/412 भादवि चालानी थाना नागल जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 03/19 धारा 307 भादवि व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 व 3/5A/8 गौ हत्या निवार अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 034/19 धारा 136/137 विद्युत अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0- 126/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0- 320/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 28/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

<u>अभियुक्त गुलफाम उर्फ भोला का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0स0 796/2018 धारा 136 विद्युत अधिनियम चालानी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 34/19 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 28/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर।
2. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 उपेन्द्र राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1315 राहुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
7. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 07.02.2026

-प्रेस नोट-

<u>पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व कुल 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 16.10.2021 को वादी व0उनि0 राशिद खां सूरी थाना बेहट जनपद सहारनपुर के अभियुक्त मान्नी उर्फ नौमान पुत्र दिलशाद नि0 शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर स0पुर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की सूचना पर मु0अ0सं0-448/2020, धारा 307 भादवि थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-134/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 07.02.2026 को अभियुक्त मान्नी उर्फ नौमान पुत्र दिलशाद निवासी शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-448/2020 धारा 307 भादवि का दोषी पाते हुए 05 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चैहान
विवेचक-उनि0 श्री नितिन कुमार
पैरोकार-का0-1752 रवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।